प्रथम त्रैमासिक रिर्पोट

E-mail:- srkhan83@yahoo.co.in / cdcdelhi@gmail.com
Phone: - +919999691922(Delhi) +919813173762(Haryana)

मेवात एक झलक

मेवात अरावली पहाड़ी श्रृंखला का वो क्षेत्र है जो राजस्थान के भरतपुर धौलपुर व अलवर तथा हरियाणा के मेवात जिलों के अंतर्गत आता है। ये पूरा क्षेत्र मेव जाति की बहुलता वाला है। मेव जाति तुगलको के समय मुसलमान हो गई। और धीरे–धीरे पूरा मेवात क्षेत्र मुसलमान होता चला गया।

अध्ययन का क्षेत्र हरियाणा का मेवात जिला है। जिसके छः खण्ड हैं

नूँह — जिला मुख्यालय
ताउरो
पुनहाना
फिरोजपुर झिरखा
नगीना
हथिन

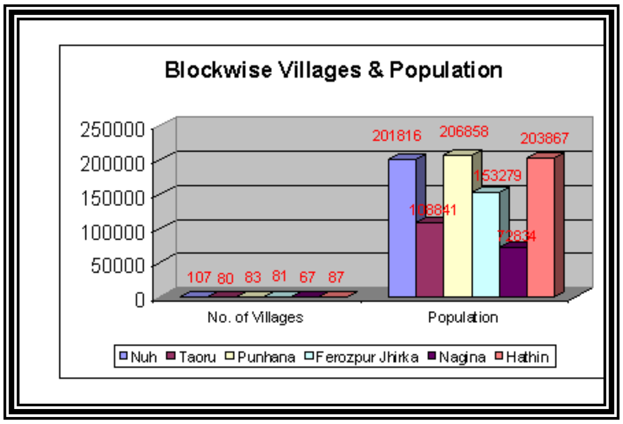

नृवंशीय दृष्टि से मेव निम्नांकित वंशों के वंशज हैं।

☆ यदू वंश	कन्हैया जी
☆ तमर	पाण्डव
☆ कछवाहा	रामचन्द्र जी
☆ पाहट	तारा गढी चौहान
☆ छिकरलोत	

(मिरासीयों के मौखिक इतिहास से)

अधिसंख्यक मेव पारम्परिक कृषक हैं जिनका अपना इतिहास है। जमीन से जुड़े होने एवं राजधानी के करीब होने के कारण वैदिक काल से ही इस जाति का इतिहास बर्बरता से जोड़ा गया है। और बहुतेरे शासकों ने इन्हें लुटेरा शब्द से भी नवाज़ा। आज भी इस क्षेत्र में ऐसे कई गाँव हैं जिनका पेशा चोरी ठगी आदि है। इस क्षेत्र का इतिहास आक्रमण व लूट से परिपूर्ण है जिनमें औरत धन की लूट भी शामिल है। आज भी भरतपुर राजस्थान का गढ़ी मेवात (चोर गढ़ी के नाम से प्रसिद्ध) के लोगों का मुख्य व्यवसाय चोरी और लूट है।

1733 में जाट राजा महाराजा सूरजमल द्वारा स्थापित भरतपुर (राजस्थान) के अंतर्गत आने वाले व जाटों की ओर से अस्त होते मुगल राजाओं की नाक में दम करने वाले दादू बहाड़ (छिकरलोत वंश) हसन खाँ मेव और अंग्रेजों के विरूद्व कुँवर मोहम्मद अशरफ के नेतृत्व में मेवों ने लगातार संघर्ष व विद्रोह किया। साफ है ये मुख्यधारा से अलग थे और मुस्लिम शासकों से विद्रोह के कारण ये मुसलमानों से अधिक जाटों से ज्यादा नजदीक पाते थे जो इनके इतिहास के अनुसार इनके भाई (गोत्र के अनुसार) भी थे। समय ने करवट ली और मौलाना इस्माइल के आगमन से एक मुस्लिम सांस्कृतिक आंदोलन (तबलीगी जमात) आरम्भ हुआ। ये वही समय था जब राष्ट्रीय राजनैतिक नेतृत्व का तेजी से सम्प्रदायिकरण हो रहा था। आश्चर्य! हजारों वर्षो से केन्द्रीय सत्ता के घटनाक्रमों से अछूती रही ये बर्बर कौम भी इस आँधी में संस्कृतिकरण के रास्ते चल पड़ी थी। हां, मगर ये हरियाणा के मेवात में विशेष प्रभावशाली रहा। अन्य क्षेत्र आज भी अपनी परम्परा से वबस्ता हैं।

यहाँ ऐतिहासिक चरित्र राम एवं कृष्ण को दादा पुकारते हैं। ग्यारहवीं शताब्दी में मुस्लिम धर्म अपना लेने वाली ये जाति राजपूत है जिन्होंनें अपनी सांस्कृतिक विरासत बड़ी सहेजकर रखी है। और अन्य मुसलमानों के उलट इनके रीति रिवाजो

में सनातनी छाप दिखती थी। इनके प्रमुख त्योहारों में ईद के अलावा होली दिवाली भी शामिल हैं। ये सगोत्रीय विवाह निषेध मानते हैं। तथा आज से 20 वर्ष पूर्व बिना अग्नि का फेरा लिए विवाह को सम्पन्न नहीं मानते थे।

महाभारत का स्थानीय संस्करण है "पाण्डु का कहा" जिसकी रचना सादुल्लाह खाँ (जिन्हें यहाँ कौमी शायर कहा जाता है) ने 18वीं शताब्दी में की थी। "पाण्डु का कहा" मिथ्य से भी कहीं अधिक गूढ़ और इनकी सांस्कृतिक पहचान का घोर आवरण है। ये पद्य रचना है जिसे सफेद कुर्ता धोती पहने मिरासी या जोगी बड़े सम्मान से प्रस्तुत करते हैं। तीन या उससे कुछ अधिक घंटे में गाया जाने वाला ये पद्य 800 श्लोकों से निर्मित है। इन्हें गाने से पूर्व ये नात पैगम्बर मुहम्मद स0 व ख्वाजा मोइनउददीन चिश्ती के सम्मान में गाते हैं। "पाण्डु का कहा" केवल मनोरंजन का साधन नहीं अपितु सांस्कृतिक पहचान और पूर्वजों के सम्मान से जुड़ा है।

लम्बे समय तक अपनी सांस्कृतिक पहचान को बरकरार रखने वाली ये जाति ग्यारहवीं और बड़े पैमाने पर चौदहवीं शताब्दी में मुसलमान तो हो गई थी मगर इनका रहन सहन और मान्यताएँ पूर्ववत थी। मस्जिदों में इबादत के अलावा अक्सर मन्दिरों में पूजा भी कर लिया करते थे। विशम्भर खाँ अर्जुन आदि नाम वाले मुस्लिम लोग यहाँ अक्सर मिलेंगें। जिन्हें इनकी संस्कृति से जोड़ कर देखा जा सकता है।

मगर आज से करीब 20 वर्ष पूर्व तबलीगी जमाअत और जमाअत ए इस्लामी के प्रभाव से इस जाति का मुस्लिम संस्कृतिकरण आरम्भ हुआ और फिर यहाँ मूल–चूल परिवर्तन हुए। अब मिरासीयों की महफिल की भीड़ छँटने लगी और मिरासी भी अब अपना रूप बदलने लगे थे। ईद आदि की नमाज पढ़ भर लेने वाले लोग अब दिन में पाँच बार नमाज पढ़ने लगे थे। और अब ये देश व दुनिया के

मुसलमानों के साथ मुख्यधारा में आना चाहते थे। स्वभावतः अब ये मुस्लिम तौर तरीकों की ओर आकर्षित होने लगे।

मेव : उपेक्षा और साम्प्रदायिक भेदभाव

अधिकांश समस्याओं को मेवों की अपनी या फिर अल्पसंख्यकों का मामला बताकर सरकारों की पल्ला झाड़ लेने व सुनियोजित तरीके से वर्ग विशेष को मुख्यधारा से काट कर रखने की सरकारी कुचेष्टा स्पष्ट दिख जाती हैं।

- 80 फीसदी से भी कहीं अधिक आबादी वाले इस क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर उर्दू का नहीं होना
- परिसीमन के नाम पर मेव वोटों का बंटवारा
- माध्यमिक व उच्च विद्यालयों की नगन्य संख्यात्मक स्थिति
- आरक्षण से वंचित (मेव ओबीसी 2 के अंतर्गत हैं)
- तमाम सरकारी योजनाओं से महरूम
- बदहाल सड़कें
- जल रहित क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का न होना

सब के बावजूद ये उल्लेखनीय है कि गुड़गाँव व फरीदाबाद जैसे शहरों से लगा ये जिला हरियाणा का सबसे पिछड़ा जिला है। सर्व शिक्षा अभियान और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं की पोल खोलता देश में ये जिला शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ापन में अव्वल है।
इन सब के बावजूद रेडक्रास सोसायटी मेवात के महेश मलिक फरमाते हैं– "राज्य का आधा पैसा तो सरकार इन पर खर्च करती है। मगर ये ना सुधरे हैं और ना सुधरेंगें"

मेवों पर एक बड़ा आरोप उनका अधिक बच्चे पैदा करना है। मगर वास्तविकता तो ये है कि अधिकांश बच्चों की मौत हो जाना अधिक संतान पैदा करने की प्रमाणिक वजह है।

परिवार नियोजन जैसी योजनाओं के प्रचार प्रसार को मुस्लिम मान्यताओं के नाम पर बन्द कर दिया जाता रहा है। वहीं अन्य विकासात्मक योजनाओं के लागू न होने का ठीकरा स्थानीय राजनैतिक नेतृत्व के माथे फोड़ दिया जाता है। साथ ही इनसे सम्बंधित किसी भी मुद्दे को सामाजिक समस्या के बजाय मेवों की अपनी समस्या के रूप में देखा जाना प्रशासन की दोहरी नीति व साम्प्रदायिक दृष्टिकोण का स्पष्ट उदाहरण ही है।

अब अरावली की तराइ में राम या कन्हैया जी की संतानों या जाटों और मेवों के बजाय हिन्दु और मुसलमान थे। भेदभाव बढ़ा मगर बहुत अधिक नहीं। रीति रिवाजों में अभी तक कोई अंतर नहीं था। संपत्तियों (औरतें भी इसी वर्ग में हैं) की लूट और समान वितरण में भी कोई अंतर नहीं आया था मगर फिर भी एक अलगाव आ चुका था। फिर तो 1947 आया और मेव पलायन करने लगे थे। गाँधी जी ने घासेडा पहुँच कर उनसे रूकने की अपील की। एक तथ्य बड़ा महत्वपूर्ण है कि 47 के समय पाकिस्तान जाने वाले अधिकांश मेव वापस अपनी जमीन पर लौट आए।

जाति (किसानों के) के नाम पर पंजाब के बँटवारे में मेवों को अलग अलग बाँटकर उनकी शक्ति को नियंत्रित करने की सफल कोशिश की गई।

इस दौरान सरकारी पक्षपात और भेदभाव ने मेवों को बाहरी मुसलमानों से या मुस्लिम मुख्यधारा से अपना सम्बंध बनाने को मजबूर किया।

अब शुरू हुआ बाहरी मुसलमानों से सम्बंध बनाने का सिलसिला और मेव शादियों के लिए जमुना के पार आये।

फिर 90के दशक के सम्प्रदायिक ध्रुवीकरण ने 1992 को रक्तरंजित कर दिया और मेवों के अन्य सभी जातियों से रणनैतिक सम्बंध हो गये।

मेव और महिलाएँ

इस क्षेत्र का इतिहास आक्रमण व लूट से परिपूर्ण है जिनमें औरत धन की लूट भी शामिल है। यहाँ औरतों को वस्तु मात्र की तरह गिरवी रखने या बेच डालने या फिर लूट लेने की परम्परा रही है। यहाँ अन्य परंपराओं के अलावा नियोग प्रथा भी विद्यमान रही है।

उल्लेखनीय है कि इस जाति में करीब 20 वर्ष पूर्व तक परिवार के सभी भाई अपनी–अपनी पत्नियों के अलावा एक महिला को रखा करते थे जो सभी भाइयों के साथ यौन सम्बंध रखा करती थी । और ये इनके क्षत्रिय शौर्य व सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक था। (ज्ञात रहे कि ये स्वयं को पाण्डवों का वंशज मानते हैं और इनके गोत्र भाइयों में आज भी ये व्यवस्था मौजूद है।)
परंतु तबलीगी जमाअत और जमाअत ए इस्लामी के प्रभाव ने स्थितियों में परिवर्तन लाया तथा इस प्रथा पर एक हद तक सामाजिक रोक लगाने में सफल रहे। परंतु खेतों व घरों में काम करने के नाम पर लाई जाने वाली महिलाओं का उपयोग बढ़ गया। कार्य की इस अवधी में, मैं कई महिलाओं से मिला जिन्होंने सहजता से परिवार के लगभग सभी पुरूषों के साथ यौन सम्बन्धों को स्वीकार किया।
ऐसा नहीं है कि इनसे विधिवत विवाह नहीं किया जाता। मुस्लिम संस्कृतिकरण के बाद से ये नियोग प्रथा से इंकार करते हैं परन्तु घरेलू कामकाज व खेती के लिए औरतों के उपयोग के पीछे नियोग एक बड़ा कारण है। साथ ही औरतों को गिरवी रखे जाने या बलपूर्वक लूट लिये जाने के पीछे नियोग जैसी प्रथाओं से इंकार नहीं

किया जा सकता। वहीं इस समाज में औरतों की पूरी तस्वीर शोषण व भोग की वस्तु प्रतीत होती है।

पुनहाना खण्ड के शिकरावा गाँव वासी हकीम अजमल खाँ कन्या भ्रूण हत्या को नकारते हुए बिगड़े लैंगिक अनुपात का बड़ा जोरदार तर्क देते हैं। "जब मर्द मजबूत होंगें तो लड़का पैदा होगा और अगर औरत मजबूत तो लड़की"। आगे फरमाते हैं कि पुरबिया राज्यों में मर्द औरतों को खुला छोड़ देते हैं जिसकी वजह से वहाँ लड़कियों की ज्यादा पैदावार है। जो वहाँ की गरीबी का कारण है।

हाँ! वो गलत नहीं हैं उनके अपने दर्शन हैं जो उनकी अपनी परम्पराओं पर आधारित है। अपनी यादों को बाँटती हुई फिरोजपुर नाम के सरपंच की पत्नी अपने जीवन को याद करते हुए बताती हैं कि आज से पहले करीब 20–25 साल पहले औरतों के पास केवल एक जोड़ी कपड़े हुआ करते थे। जिन्हें रात के समय धो देना होता था और रात के समय बदन पर कोई अन्य कपड़ा लपेटकर सोना होता था। नहीं आपने निश्चय ही गलत समझा ये किसी गरीब की मजबूरी नहीं बल्कि औरतों के संभोग यंत्र होने का अकाट्य प्रमाण है।

फिरोजपुर नाम की एक पारो गौशिया स्पष्ट करती हैं कि रात के समय औरतों के बदन पर कपड़े की आवश्यकता मानने का सवाल ही नहीं। आखिर उन्हें बच्चा पैदा करने के लिए ही तो रखा गया है। औरतों का काम दिन में कृषि कार्य व रोटी बनाना और रात को मर्द के बिस्तर पर होना जन्मजात कार्य है।

इसका एक दूसरा पहलू भी है। देखें –

इनकी मान्यतानुसार औरतें या पत्नियाँ (यहाँ बेरबानी कहते हैं जिसका शाब्दिक अर्थ है टहल पानी करने वाली) हवा की तरह हैं जो कब दगा दे जायें किसी को नहीं पता। इसलिए इन्हें विशेष चीजों से दूर ही रखा जाये।

अब संपत्ति व जमीनों की हिस्सेदारी की बात करना बेमानी होगी। हाँ मगर हाल के करीब 5–6 वर्षो से सरकार द्वारा की गई पहल का कुछ परिणाम आंशिक ही सही मगर आया अवश्य है (इस पहल के अंतर्गत जमीनों की रजिस्ट्ररी में महिलाओं को राजस्व में 2 प्रतिशत की छूट प्रदान की है।)

विवाह

इस समाज में समान्यतः दो प्रकार के विवाह प्रचलित हैं।
एक जिसके तहत लड़की अपने साथ दान दहेज लेकर आये और दूसरा जिसके तहत मर्द लड़की के परिवार को रकम चुका कर लायें। पहला तरीका चिंताजनक नहीं मगर दूसरा तरीका बड़ा खतरनाक है जिसमें तमाम बातों के अलावा सदैव ही इस बात का डर रहता है कि अच्छा पैसा मिलने या फिर किसी सामाजिक सहयोग के लिये कभी भी मुक्त किया जा सकता है। अर्थात किसी अन्य के साथ हाँक दिया जा सकता है। यहाँ ध्यान रहे कि वो लड़की मेव भी हो सकती है या फिर वो खरीदी हुई बाहरी लड़की पारो जो इसी उद्देश्य की पूर्ति का एक साधन है।

पारो एक परिचय

पारो का सहज शाब्दिक अर्थ है जमुना पार की कोई लड़की या महिला। स्थानीय भाषा के अनुसार परली पार की बेर बानी (शाब्दिक अर्थ टहल पानी करने वाली) अर्थात उस पार की लड़की जिसका सीमित उद्देश्य हो।

शब्द पारो का समाजिक अर्थ है एक लड़की जो यौन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अथवा वंश चलाने के उद्देश्य से या अधिकांशतः रोटी बनाने जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आयात की गई हों।

सहज अर्थ वाला ये शब्द न सिर्फ भौगोलिक अर्थों वाला है अपितु सामाजिक बँटवारे एवं शोषण के स्तर का पैमाना भी। ये तय करता है कि औरतों की सामाजिक स्थिति क्या होगी।

एक साधारण शब्द की ये डरावनी यात्रा आज से करीब 35 वर्ष पूर्व आरंभ हुई। इस तरह की शुरूआत ही धिनौने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ट्रक ड्राइवरों द्वारा की गई।

पुरबिया राज्यों की यात्राओं के दौरान इन क्षेत्रों की समस्याओं का बेजान इस्तेमाल ट्रक ड्राइवरों ने आरम्भ किया और वहाँ से शादियां करना आरम्भ किया। ये शादियां दो क्षेत्रीय संस्कृतियों के मिलन जैसे शाब्दिक आडम्बरों से मुक्त शुद्ध व्यवसाय के लिए किया गया कर्म था। जहाँ लड़कियों का परिवार जवान लड़कियों से ससम्मान मुक्ति चाहते थे।

वहीं शादी करने वाले आसानी से उपलब्ध हो रही कमसिन एवं जिम्मेदारी से मुक्त लड़की प्राप्त करने, जिसे उन्हे अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग करने या बदलने की आजादी प्राप्त करता है। यहाँ एक तथ्य नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि पारो अधिकांशतः दूसरी तीसरी या चौथी लड़की होती है। और उम्र का एक बड़ा फासला कम से कम दोगुना।

पारो का आयात

पारो के आयात का बड़ा केन्द्र है हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश), असम, प0 बंगााल, उड़िसा, झारखण्ड, बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश। इन तमाम इलाकों में दलालों का एक बड़ा नेटवर्क अपना काम बड़ी मुस्तैदी व स्वछंद रूप से कर रहा है। और गरीब परिवारों तथा अन्य समस्याओं से ग्रस्त लड़कियों व उनके परिवार को सुनहरे भविष्य का ख्वाब दिखा कर अपना काम अंजाम दे रहे हैं। वहाँ एक पूरे ड्रामे के साथ ये स्पष्ट किया जाता है कि उक्त व्यक्ति दिल्ली का व्यवसायी है तथा क्षेत्र विशेष के लोगों से बड़ा प्रभावित है और उक्त क्षेत्र विशेष के किसी व्यक्ति के कारण उसका व्यवसाय डूबने से बच गया। और अब वो इसलिये वहीं की किसी लड़की से विवाह करना चाहता है और स्थानीय व्यक्ति (दलाल) लड़की वालों पर अहसान कर रहा है।

मेवात से उन इलाकों में जाने वाले ट्रक ड्राइवर बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन्हें ही दिखाकर लड़कियों की शादी (शादी जिसका मकसद लड़की को अपनी संपत्ति बना कर बेचना है) की जाती हैं। और फिर यहाँ आकर लड़कियों को किसी जरूरतमंद को बेच दिया जाता है। और जरूरतमंदों की श्रेणी में विक्लांग व्यक्ति जैसे बूढ़े व्यक्ति या 12–14 बच्चों के पिता हैं जिनकी पत्नियाँ नहीं है।

लड़कियाँ बिकती हैं। और बार–बार बिकती हैं। और तब तक जब तक की वो व्यवसायिक यौन कर्म ना अपना लें। या फिर भीख माँगने लगे। या भाग जायें

झारखण्ड के चतरा जिले के प्रतापुर थानार्गत हुमांजान निवासी दानिश मियाँ (दल्लवा के नाम से प्रसिद्व) 80 के दशक से इस व्यवसाय में हैं। जिनके द्वारा आज तक सैकड़ों लड़कियाँ ठिकाने

(मेरे पास और कोई अन्य शब्द नहीं) लगाई गई हैं। और मेवात में समान रूप से लोकप्रिय भी हैं।

नॅूह में बैठे एक स्थानीय अखबार के ब्यूरो चीफ कासिम साहब लड़कियों के खरीदने बेचने की बात से इंकार करते हुए बताते हैं कि सिर्फ लाने का खर्च लेते हैं।

अधार्मिकता और नस्लवाद में पिसती पारों

किसी भी समाज के परिवर्तन का पहला निशाना औरतें ही होती हैं चाहें वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। और विशेषकर संस्कृतिकरण का सीधा प्रभाव महिलाओं पर ही पड़ा है और वो भी नकारात्मक।
मेव जाति के मुस्लिम संस्कृतिकरण का प्रभाव भी महिलाओं पर ही पड़ा और तमाम कायदे कानूनो की अपने ढंग से व्याख्या की गई। और तमाम अधिकारों को मर्दो ने अपने हाथ में ले लिया। ऐसा नही कि इससे पहले महिलाओं को कोई विशेष अधिकार प्राप्त थे। फिर भी धर्म को नया आधार बनाकर औरतों को तलाक देने और चार शादी जैसे मुद्दों को अपनाया तो गया मगर शरीयत के अहम अंग दोख्तरी खुला जैसे शब्दों से अन्जान रहने की भरसक कोशिश की गई। मेवात देश का शायद एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ महिलाओं का संपत्ति पर कोई अधिकार नही। और इसका भी अपना धार्मिक तर्क है।

तलाक के मुद्दे पर भी ये जाति अन्य से दो कदम आगे ही है। और तलाक की भी अजीबो गरीब शर्त यानि या तो लड़की दैन मेहर की रकम माफ करके तलाक ले ले या फिर उसी के निकाह में अपने मायके में जीवन गुजारे। और युवक से होने वाला बच्चा भी देकर जाये। (लिंग शर्त परिवर्तन का कारण हो सकती है। अर्थात अगर संतान बेटी है तो ममता का ख्याल करके लड़की

को दिया जा सकता है।) ये स्थिति तो हुई मेव लड़कियों की, अब एक नजर पारो पर।

पारो जिसका आयात केवल भोग के लिये हुआ है। उसे संपत्ति की भागीदारी देने का सवाल ही नही उठता। और रही बात उनके तलाक व अन्य गतिविधियों की तो धर्म कुछ नहीं कहता और चुप रहता है। (ध्यान रहे मैं इस्लाम की बात नहीं इनके धर्म की बात कर रहा हूँ)

विद्रोही जातियाँ जो संस्कृतिकरण के राह पर चल पड़ी हों, उनकी एक बड़ी समस्या होती है। और वो है समस्त इतिहास पर अपना वर्चस्व साबित करने की कोशिश करना, अपने वर्तमान और इतिहास को सदैव ही बढ़ा–चढ़ा कर पेश करना और तमाम तरीकों से अपने को सर्वोपरि दिखाना।

ऐसे में स्वाभाविक है बाहर से खरीदी गई लड़कियों की स्थिति का अनुमान ही लगाना काफी है।

पारो एक विकल्प के रूप में

पारो लाना एक मजबूरी है, एक जरूरत और एक सामाजिक हेय दृष्टि के कोपभाजन बनने का प्रथम चरण।

उपयुक्त विचार हैं स्थानीय बुद्धिजीवियों के जो कहते हैं ये काम मुख्यधारा के मेवों का काम नहीं। बल्कि ये पिछड़े व बहिष्कृत लोग ही ऐसा करते हैं।

पारो केवल एक संभोग यंत्र की भूमिका तो अवश्य निभाती है। परंतु एक वैकल्पिक साधन होने से इंकार करना भी अतिश्योक्ति होगी। तथापि ये भी सत्य है कि मेवों की स्थानीय मान्यताओं और

परिस्थितियों का खामियाजा पूरी तरह दूसरे क्षेत्रों की गरीब और निरीह महिलायें भुगत रही हैं।

कारणों के समाजिक अध्ययन कहीं और इशारा करते है। आइये विवाह धन (*Marriage money*) पर आधारित एक उदाहरण देखें।

समाज वैज्ञानी मोनिका दास गुप्ता के अनुसार

सामान्यतः युवाओं के विवाह के प्रचलन (ज्ञात रहे कि जहाँ M/F हो) में विवाह धन (*Marriage money*) की अवधारणा का निम्नांकित मानदंड है।

भारतीय परिपेक्ष्य में,

जहाँ कि एक लड़के का जन्म 1980 में हुआ हो।

☞ *Male* *Female*

Cohort 1980 ----------------1982, 83,84,85,86,87,88,89,90

(Not Bonded) *(Bonded 18-25)*

अर्थात

एक लड़का सामान्यतः 9 लड़कियों का विकल्प प्राप्त करता है। जिसपर भी उसे शादी की उम्र का कठोर बंधन से मुक्ति प्राप्त है। अतः विवाह धन उसकी ओर आता है।

मेवात क्षेत्रीय परिपेक्ष्य में,
जहाँ कि एक लड़के का जन्म 1980 में हुआ हो। (सबसे पहले यहाँ उल्लेखनीय है कि लड़कों का विवाह सामान्यतः 15 से 22 में हो जाना आवश्यक है।)

☞ *Male* *Female*

Cohort 1980 ------------------------------------- *1980, 81, 82, 83, 84, 85*

(Bonded Age 15-21*)* *(Bonded Age 14-18)*

अर्थात

एक लड़का 6 लड़कियों का विकल्प प्राप्त करता है। मगर उस पर सदैव उम्र का बंधन भी लगा होता है। फिर भी विवाह धन प्राप्त करता है क्योंकि लड़की भी एक निश्चित विवाह आयु सीमा से बंधी होती है। और उसे तुरंत ही उस आयु वर्ग में विवाह करना होगा। किसी युवक ने अगर बगैर विवाह के ही 30 बसंत देख लिये तो अब उसे लड़की पाने के लिए मूल्य चुकाना होगा।

वो लड़की जो किसी कारण से कुंवारी रह गई या तलाकशुदा मेव भी हो सकती है या फिर पारो। अगर लड़की मेव है तो उसके लिये समाज का सहारा तो है मगर सिर्फ इतना कि उसे जान से मारा ना जाये। मगर वो पारो है तो फिर वो समाज भी समाज नही तमाशबीन भीड़ मात्र होता है।

पारो और मेवात

कहते हैं कि मेवात की कुल महिला आबादी का 20 प्रतिशत पारो है। इतना ना भी हो तो मेवात की महिला आबादी में पारों एक बड़ा हिस्सा अवश्य हैं। मेवात में पारों द्वारा किसी सांस्कृतिक बदलाव का शायद ही कोई मामला हो मगर एक बात अवश्य देखने में आई कि इनके कारण शिक्षा खास कर उर्दू शिक्षा के मामले में जागरूकता आई है। दरअसल अधिसंख्यक पारों उर्दू की जानकारी अवश्य रखती हैं जो स्थानीय मेव औरतों के प्रेरणा बनीं। इस सम्बंध में कोई भी आँकड़ा या शोध उपलब्ध नही है जो समस्या को सही दिशा भी दे पाये। इस शोध के दौरान निम्नांकित आँकड़े एकत्रित किये गये। जो बहुत अधिक ना सही परंतु एक स्पष्ट संकेत अवश्य दे जाते हैं।

प्रखण्ड	गाँव	आबादी घर (अनुमानित)	पारो की संख्या
नूँह	फिरोजपुर नमक	1000	115
	घांघुका	300	20
	सतपुतियाका	50	8
	हुसैनपुर	25	5
	घासेडा बीचौंजिया	100	20
	घासेडा गाँधीग्राम	800	45
तावडु	छारौडा	200	30
	ढिलमकी	250	15
	शिकारपुर	300	30
हाथिन	रूपडाका	200	22
	म्लाइ	100	17
☆	गोराक्षर ☆	50	..............☆
पुनहाना	झटाना	400	45
	शिकरावा	300	60
	जमालगढ़	200	25

(तथ्य प्रथमतः स्थानीय अनुमान पर आधारित है।)

पारो और मेव महिलाओं की तुलना करना एक दुसाध्य कार्य है। सहज अर्थो में पारों मेव महिलाओं के लिए किसी खतरे से कम नहीं। सहज है, गाँव में आई कोई सुन्दर पारो का आयात मेव महिलाओं में असुरक्षा बोध पैदा कर देता है कि अब जाने किस परिवार के मुखिया का दिल उस पारो पर आ जाये।

वहीं दूसरी तरफ पारो अपनी स्थितियों से असंतुष्ट होती हैं। मगर समझौते की मजबूरी और महज दो जून की रोटी के लिये संघर्ष कर रही होती हैं। उन्हें किसी भी तरह केवल अपना जीवन व्यतीत करना होता है। उन्हें पता होता है कि उसके अस्तित्व का अर्थ हैं एक वस्तु का जीवन जो उपभोग के लिए है।

पारो अपनी नियती जानती है कि उसे यथार्थता का बोध है। और वो तब सिर्फ अपना बदला लेती है। मेव घरों को तोड़ने और इनकी संपत्तियों को बर्बाद करना इनकी कोशिश होती है। वे परिवार को बदनाम करने की कोशिश भी करती हैं। जोर–जोर से हँसती है, मर्दो से हँसी मजाक करती है और मार खाती है मगर विरोध जारी रहता है। कभी–कभी तो घर का समान लेकर भाग जाती हैं या फिर बिक जाती हैं। (एक पारो अजदा से बातचीत पर आधारित)

पारो वापस क्यूँ नहीं जातीं

ये सही है कि इन लड़कियों के माता पिता इनका विधिवत विवाह करते हैं और अन्जाने में वो लड़कियाँ दलालों के हाथ सौप देते हैं। उन्हे जो बताया जाता है दरअसल आरम्भिक तौर से ही गलत होता है। लड़की के अभिभावकों के पास सही पता भी नही होता। जब उनकी बेटी हाथों हाथ बिकना शुरू हो जाती है। तो वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एक तो दलाल का दबंग होना और दूसरे इज्जत का डर। आखिर और भी बेटियाँ हैं जिनकी शादी करने की चिन्ता होती है। और वो इनके पास आना चाहें तो पहुँच नहीं

पाते। और पहुँचे भी तो अपने दामाद के परिवार वाले और समाज की दुत्कार खाकर वापस लौट जाते हैं। और रही पुलिस की बात तो आखिर वो दूसरों के फटे में टाँग डालकर अपनी क्राइम फाइल का वजन बढ़ायें।स्वयं तावडु के पुलिस इंस्पेक्टर विरेन्द्र सिंह मानते हैं कि शिकायतें तो आती हैं मगर समाज के दबाव में वापस ले ली जाती हैं।

और फिर मर्यादित समाज (?) कई मर्दों के साथ रात गुजारने वाली बेटी को अपने साथ रखने के बजाय अपने से दूर रखना चाहता है चाहे वो जिस हाल में हो और चाहे जो करे, मगर कम से कम उनकी इ़ज़्ज़त पर आँच तो नहीं आती।

पारो की संतान और मेव

सर्वप्रथम तो ये जानना आवश्यक है कि पारो इस समाज में वंश चलाने के लिये नहीं लाई जाती बल्कि उनके आयात का कारण अन्य स्थानीय आवश्यकता है। मगर जो पारो स्थायी रूप से बस जाती हैं और उनकी संताने भी जन्म लेती हैं, उनकी स्थिति भी कुछ बेहतर नहीं होती। और संतान के जन्म में भी भेदभाव स्पष्ट होता है।

अधिसंख्यक पारों जो बच्चा जन्म देती हैं। वो वास्तव में उनके पास नहीं रह पाता। पारो की बिक्री के समय उनकी संतान खरीद बिक्री मूल्य तय करने में अहम भूमिका निभाती है। अगर संतान पुत्र है तो विक्रेता उसे पारो के साथ नहीं भेजेगा परंतु वो अगर पुत्री हुई तो क्रेता और विक्रेता एक दूसरे पर लादना चाहेंगे। ऐसी दोनों ही स्थिति में पारो के बिक्री मूल्य पर प्रभाव पड़ता है। और अंततः पारो स्वभाविक रूप से अपनी संतान से अलग हो जाती है। अधिकांश मामलों में पारों की पुत्रियाँ बड़े निर्मम तरीके से मार दी जाती हैं। जिनकी हत्या को बीमारी और दुर्घटना जैसा प्राकृतिक स्वरूप दे दिया जाता है।

अन्य पारो जो अपना परिवार बसा पाने में सक्षम होती हैं और परिवार में पत्नी और माँ की भूमिका में आ जाती हैं। प्रथमतः तो उस परिवार का मुखिया दिवालिया होगा या विक्षिप्त या विकलांग। ऐसे में उक्त परिवार की सामाजिक स्थिति स्वयं ही मुख्यधारा से अलग होगी और उनकी संताने समाज से अलग–थलग होंगी। एक दूसरी स्थिति भी है आइये देखें –

☞ एक पारो है गौशिया

आज से करीब 35 वर्ष पूर्व हैदराबाद के खैरताबाद की वेंकटरमन कॉलोनी की एक चौदह वर्षीय लड़की गौशिया मेवात ब्याह कर आई थी (कहा गया दिल्ली)। नूँह के फिरोजपुर नामक गाँव में रोजदार नामक एक मजदूर युवक उसका पति बना। वो बिकी तो नहीं मगर स्पष्ट मानती है कि उसके जेठ की उसपर नजर थी। मगर मियाँ रोजदार के सहयोग से जब उसने जेठ का पुरजोर मुकाबला किया तो जेठ ने इसे बेचने का जोर लगाया और रोजदार को दूसरी लड़की लाने की बात कहने लगा। मगर रोजदार अपनी स्थितियों के कारण ये जानते थे कि उन्हे लड़की शायद ही मिले इसलिये वो भी अपनी बेरबानी का खुला पक्ष लेने लगे। (*ghausiya! u r so lucky*) मगर संघर्ष तो अभी शुरू हुआ था और हर पल उसे लड़ना था। समय बीता और गौशिया 8 बच्चों की माँ बनी। अब उन्हे संघर्ष के दूसरे मोरचे पर जूझना था। बड़े बेटे को पढ़ाया और आज वो शिक्षक है (लोग ताज्जुब करते हैं और मानते है कि सारी मेहनत अकेले गौशिया ने की) उसी बेटे के विवाह की जब बात आई तो समाज में नाक मुँह सिकुड़ने लगे–छीः पारों के जने को अपनी बेटी कौन दे। एक सज्जन आगे आये, उनका विचार था लड़का लायक है तो पारो वारो को क्या देखना, जब चाहेंगें मार के निकाल देंगे। जहाँ से आई है वहीं जाएगी। खैर विवाह हुआ। शादी के एक महीने बाद ही बेटा मेव हो गया। अब वो अलग रहना चाहता था और अलग हो गया। कल तक

अन्य गालियों की चाशनी के साथ पारों का सम्बोधन सास व ननदों से सुनने वाली गौशिया अब बहू से सुनती है।

शायद ही घर–घर की कहानी का हिस्सा लगे। चलिये अब इनकी बटियों की स्थिति भी देख लें।
इनकी चार बेटियाँ हैं। तीन की शादी हो चुकी हैं। मगर पारो होने का अहसास आज भी होता है। इनकी बच्चियों को जब–जब समस्या आती है तो उसका मूल आधार वास्तव में इनका पारो होना होता है। जबकि मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये महिला बहुत शक्तिशाली है। और शायद मेवात की एकलौती मुस्लिम सामाजिक महिला भी । आखिर इस महिला की बसकरी बलात्कार कांड, मालब का रबीना बलात्कार कांड तथा नगीना प्रखण्ड के बीडीओ द्वारा जुबैदा बलात्कार कांड जैसे मामलो को उठाने व आरोपियों को जेल भेजवाने में अहम् भूमिका रही है।

बड़ी बेटी के विवाह ने गौशिया को तोड़ कर ही रख दिया। उसका पति उसे दोस्तों व अन्य लोगो के साथ यौन सम्बंध स्थापित करने पर जोर देता था और इंकार के साथ ही नंगा करके पिटाई करता और एक दिन तो तब हद हो गई जब उसके पति ने अन्यों के साथ मिल इनकी बेटी को निर्वस्त्र कर बेल्ट से मारते हुये पूरे गाँव में घुमाया। एक पंचायत बुलाई गई। मगर फिर वही हुआ जो होना था और जातीय पंचायत चुप रही। आखिर एक पारो की बेटी के लिये कौन लड़े। और एक पारो की वजह से किसी मेव को सजा तो दी नहीं जा सकती।

कोर्ट से केस लड़कर तलाक मिला और फिर शादी हुई। वर्तमान स्थिति संतोषजनक है।

अभी दो साल पहले गौशिया ने अपनी दो बेटियों की शादी की है मगर असंतुष्ट स्थितियों के कारण दोनों

ही बेटिया अभी मायके में है। दामाद कभी दहेज की बात करता है तो कभी कुछ और। गौशिया कहती हैं मैं तो इनके लिये डीएम एसपी से भी लड़ जाती हूँ , फिर मेरे साथ ऐसा क्यूँ।

उपर्युक्त स्थिति एक सक्रिय सामाजिक महिला की है तो अन्य निरीह पारो की क्या होगी। विचारणीय है

पारो, प्रशासन और मानवीय तस्करी

"गम और भी हैं जमाने में पारो के सिवा" के तर्ज पर पुलिस काम करती है। प्रशासनिक अधिकारी थोड़ी झिझक के बाद मानवीय तस्करी की बात भी मानते हैं। मगर शिकायतों के ना आने की बात कह अपना दामन बचा जाते हैं। प्रशासनिक हलकों में पारो की जानकारी बड़े पैमाने पर मौजूद है मगर स्थानीय संस्कृति में दखल देना उन्हें अच्छा नहीं लगता।

28 जून 2003 को मानव तस्करी के बाबत अभियोग संख्या 281/03 मेवात में दर्ज होने वाला अंतिम अभियोग था। वादी थे मेवात के हथिन थाना के तत्कालीन प्रभारी इ0 सुखविन्दर सिंह। इस अभियोग के तहत संदेशकली हावड़ा के पति–पत्नी दलाल व उक्त थानार्गत मलाइ गाँव के तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया तथा दो लड़कियों को मुक्त कराया था। इसके पूर्व भी इस पदाधिकारी के द्वारा पारो मुक्त कराई गई थी। मगर इनके तबादले के साथ ही जैसे पुलिस को लकवा मार गया और आज तक इस सम्बंध में एक भी केस दर्ज करवाने में असफल रही। इ0 सुखविन्दर सिंह द्वारा की गई कारवाईयाँ उनके स्वयं के तथा पुलिस मुखबिरों की सूचना के आधार पर की गई थीं। वर्तमान में सिरसा में पदस्थापित इस अधिकारी के तबादले का कारण भी इसे ही बताया जाता है। चाहे जो भी हो मगर इस अभियोग में तमाम अभियुक्त न्यायालय द्वारा बरी कर दिये गये।

हथिन का एक गाँव है गोराक्षर। ये वो गाँव है जहाँ से पारो की खरीद बिक्री संचालित होती है। यहाँ प्रत्येक घर लड़कियाँ बेचने वाला माना जाता है। आज की स्थिति में भी यहाँ के घरों में बिक्री के लिये रखी गई लड़कियाँ मिलेंगीं। यहाँ बिक्री के बाद शादी कराकर लड़कियाँ दी जाती है। जबकि ये भी पता ना हो कि खरीदार किस धर्म का है। वहाँ निकाह की वैधता पर प्रश्नचिन्ह तो अवश्य ही लग जाता है। (नूँह के मिडगोला में पाँच पारों मुसलमान हैं जो जाट परिवारों में हैं और उन्हें मुसलमानों द्वारा ही बेचा गया है।)

इस गाँव के परिवारों के साथ मिल कर कुछ पारो ने तो लूट को अपना व्यवसाय बना लिया है। इसके तहत उन्हें जहाँ बेचा जाता है वो वहाँ से कुछ दिनों बाद धन लेकर भाग जाती हैं। और उनका संरक्षक परिवार फिर उन्हें बेच देता है।

ताउरो के इंस्पेक्टर वीरेन्द्र सिंह पारो के आयात व खरीद बिक्री को मानते हुये मजबूरी में उठाया गया कदम करार देते हैं और साथ ही मेरी जानकारी दुरूस्त करते हैं – खरीदा बेचा नहीं जाता आने जाने का खर्च लिया जाता है और पारो भी उन्हें पति मानती है। अब उन्हे कौन बताये कि जिस लड़की का रंग जरा भी साफ हो या थोड़ा भी सुन्दर हो तो वो स्वयं ही दिल्ली या मुम्बई के चकले में चली जाती है। वो उन पारों के जानते ही नहीं जो साँझ के ढलते ही सड़क के किनार–किनारे चलना शुरू कर देती हैं। श्री सिंह अंत में कहते हैं देखिये पुलिस वाले भी समाज का अंग हैं। इसलिये पता तो चलता है मगर हाथ डालना कठिन है।

एसआई यामीन ख़ान इन बातों को मुसलमानों को बदनाम करने वाली अफवाह बताते हैं और कहते हैं थोड़ा कहाँ नहीं है। फिर वो मानते है कि हाँ ऐसा है और बड़े पैमाने

पर है। पर ये सब खुले तौर पर थोड़े ही होता है। पता ही नहीं चल पाता।

एक बात तो अवश्य है कि पारो अपनी शिकायत पुलिस तक नहीं पहुँचाती और अगर पहुँचाती भी हैं तो उस मर्द के साथ रहने की आस में उनके विरूद्ध खरीदने बेचने जैसे आरोप नहीं लगाती।
अपना अनुभव बाँटते हुए श्री रजनीश सहायक रीडर आरक्षी अधीक्षक कार्यालय मेवात कुछ दिनों पूर्व की एक घटना का जिक्र करते हैं। हैदराबाद से एक लड़की को लेकर आया एक स्थानीय युवक अपनी पूर्व पत्नी एवं परिवार के दबाव में आकर उक्त लड़की को जयपुर घुमाने के बहाने छोड़ आया था। साथ ही उस लड़की के जेवर व पैसे भी रख लिये। पुलिस के पास पहुँची लड़की पुलिस से मध्यस्त्था तो चाहती थी मगर वो उसके विरूद्ध कोई अभियोग लगाना नहीं चाहती थी। उसे आशा थी कि उसका पति पुनः उसे ले जायेगा। इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं हो पाया और न ही उस लड़की का फिर कुछ पता चल पाया।

अपने अनुभव बाँटते हुए पंजाब केसरी के स्थानीय संवाद्दाता संजय गुप्ता बताते हैं कि दो एक वर्ष पूर्व एक पारो शायद बिहार से थाने में अपने बेचे जाने की शिकायत कर रही थी। जिस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहा था। मैने स्वयं भी नहीं दिया। बाद के समय में वो लड़की सड़क पर वेश्यावृति करते हुये देखा।

इस मामले को पुलिस ने दर्ज नहीं किया था। चूंकि आरक्षी अधीक्षक कार्यालय के अनुसार वर्ष 2003 के पश्चात इस तरह का कोई मामला दर्ज तो दूर पुलिस के संज्ञान में नहीं आया।

शोध निम्नांकित व्यक्तियों से विस्तृत बातचीत पर आधारित है।

1 पारों

पारो का नाम	मूल स्थान	स्वामी द्वारा लाई गइ कुल पारो	मेवात में गुजरे वर्ष
गौशिया /रोजदार	हैदराबाद	भाइयों सहित कुल 3	25
मुमताज/असगर	बंगलादेश (अधिक बात नहीं करती)	4	10
मोइना खातुन/पंजी गूँगा	बंगाल (और कुछ नहीं पता)	1	23
साबरी/अब्दुल वहीद		3	15
अजदा खातून/मगरूद्दीन	बलासोत प0बंगाल	6	15 अनुमानित
अलीमा खातून /मगरूद्दीन	कोलकाता प0बंगाल	6	8
आबीदा (अजदा की देवरानी)	प0 बंगाल	4	6

2 प्रशासनिक पदाधिकारी

यामीन खान एसआई नूँह
रामकिशन हेडकांस्टेबल
धरमपाल कांस्टेबल वूमेन सेल नूँह
इस्पेंकटर विरेन्द्र सिंह ताउरो
नरेन्द्र कुमार कांस्टेबल थाना ताउरो
रजनीश सहायक रीडर आरक्षी अधीक्षक कार्यालय मेवात

3 सामाजिक व राजनैतिक कार्यकर्ता एवं नेतृत्व

नूरूद्दीन नुर जिला परिषद सदस्य
सुरेन्द्र दुआ पत्रकार
संजय गुप्ता पत्रकार
मेव रशीद मालब
सुबेद्दीन सी एफ आइ बी
मो लुकमान
खलीक अहमद सचिव प्रैस क्लब मेवात
मो ताहिर हुसैन अधिवक्ता
मो0 कासम सामाजिक कार्यकर्ता

4 अन्य

मोहम्मद दाउद मेव वंशावली ज्ञाता
हाजी मुहम्मद खाँ मेव इतिहास के ज्ञाता
हाजी सुफेदा मिरासी
गुलशन डुंगेजा मिरासी

रिर्पोट मेवात के नूँह ताउरो पुनहीना फिरोजपुर झिरखा की कुल 100 महिलाओं एवं 150 पुरूषों से बातचीत पर आधारित